14

32

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3821–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–06–2013 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला देवास प्रकरण कमांक (कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 1019/रीडर/2012)स्व.निगरानी/2012–13 ।

....

तोरसिंह पिता श्री गजराजसिंह कोरकू
निवासी ग्राम बरवई तहसील खातेगॉव
जिला देवास म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–कमोदाबाई पिता रूगनाथजी
2–नर्मदाबाई पिता रूगनाथजी
निवासीगण ग्राम फतेहगढ तहसील सतवास
जिला देवास
3–सरस्वतीबाई पिता रूगनाथजी
निवासी ग्राम निमलाय तहसील सतवास
जिला देवास
4–गुलाबबाई पिता रूगनाथजी
निवासी ग्राम डाबरी बुजुर्ग तहसील सतवास
जिला देवास
5–मनफुल पिता रूगनाथजी
निवासी ग्राम फतेहगढ़ तहसील सतवास
जिला देवास
6–कलेक्टर जिला देवास म0प्र0

........अनावेदक

....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.1.17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने भूमि सर्वे कमांक 12, 13, 15, 16, 17 भूमि ग्राम फतेहगढ़ पटवारी हल्का नम्बर 32 नया नम्बर 43 तहसील सतवास जिला देवास को अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की अनावेदक कमांक 5 आम मुख्त्यारआम से विधिवत् रजिस्ट्री दिनांक 28–8–2012 को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है जिसका विकय पत्र भी विधिवत् रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन हुआ है । रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से आवेदक ने विधिवत् उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय सतवास में प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधिवत् विज्ञप्ति जारी की गई एवं आवश्यक कार्यवाही की गई । दोनों पक्षों के कथन भी लेखबद्ध किये गये व विज्ञप्ति उद्घोषणा जारी की गई थी । तोरसिंह व मनफुल के कथन भी विधि अनुसार लेखबद्ध किये गये। तहसीलदार सतवास द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न कर दिनांक 18–3–2013 को आवेदक का राजस्व रिकार्ड में अनावेदक के स्थान पर नाम दर्ज करने का आदेश दिया । वर्तमान में आवेदक का नाम विधि अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया तथा भू–ऋण पुस्तिका एवं खसरा भी आवेदक के नाम है । अनावेदक कमांक 1 से 4 तक ने एक आवेदन पत्र कलेक्टर जिला देवास के समक्ष जनसुनवाई में प्रस्तुत कर विकय पत्र धोखाधड़ी से कराये जाने की असत्य शिकायत प्रस्तुत की गई । उसी झूठे आवेदन पत्र के आधार पर कलेक्टर जिला देवास ने प्रकरण को स्वनिगरानी में असत्य आधारों पर दर्ज कर कारण बताओं सूचना पत्र कमांक 1019/रीडर/2012 दिनांक 4–6–13 जारी किया । कलेक्टर जिला देवास के इसी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 4–6–13 से व्यथित होकर आवेद्रक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किये जिसमें बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वनिगरानी में प्रकरण लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है और न ही कोई आधार है क्योंकि स्वयं कारण बताओं सूचना पत्र में अनावेदक क्रमांक 1 से 4 तक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना उल्लेखित किया है तो अधीनस्थ अधिकारी को प्रकरण स्वनिगरानी में लियें जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इसलिये ऐसी कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य है । तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार द्वारा की गई नामान्तरण की कार्यवाही गुणागुण व अधिकारिता पूर्ण होने से उसे किसी भी प्रकार से स्वनिगरानी में लिया जाना विधि की की भूल है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने कारण बताओं सूचना पत्र में अपील योग्य आदेश को निगरानी में लिया जाना स्वमेव निगरानी में लिये जाने का कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कार्यवाही कर एक पक्षकार को सीधा लाभ पहुँचा कर आवेदक के हितों के विपरीत कार्यवाही की जा रही है जो निरस्ती योग्य है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया अधीनस्थ कलेक्टर जिला देवास के न्यायालय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर की जा रही अवैध एवं अनियमित व अव्यवहारिकपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा तर्क किये गये कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला देवास के यहॉ आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर जिला देवास द्वारा कार्यवाही करते हुये आवेदक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है । कलेक्टर द्वारा की जा रही विधिवत् कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–3–13 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने के निर्णय के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । कारण बताओ नोटिस में कलेक्टर ने उन आधारों का स्पष्ट उल्लेख

किया है जिनके आधार पर उन्होंने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया है इसमें अनावेदकों को विक्रय राशि प्राप्त न होना, सूचना पत्र की उन पर तामीली न होना आदि बिन्दु शामिल है। आवेदक अपना उत्तर भी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर चुका है । ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध निगरानी सुनने का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक को कलेक्टर के निर्णय का इन्तजार करना चाहिये जिसक विरूद्ध विधिक अनुतोष उसे प्राप्त रहेगा । इस स्टेज पर अपने सभी तर्क/आपत्ति वह कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर